



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
'परिवेश-भवन', पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - ११० ०३२

File No. AC-101/05/VG/2016-17/

Date 16th June, 2016

CIRCULAR/परिपत्र

Subject: - Providing Copy of PAN Card and other details as per attached format

As per the Finance Act, 2016, income-tax is mandatorily required to be deducted under Section 192 of the Act from income chargeable under the head "Salaries" for the financial year 2016-17 (i.e. Assessment Year 2017-18).

The rates of deduction of income-tax from the payment of income chargeable under the head "Salaries" during the financial year 2016-17 and explanations & related provisions of the Act and Income-tax Rules, 1962 (hereinafter the Rules) along-with Rules, Forms and Notifications are available at the website of the Income Tax Department- www.incometaxindia.gov.in.

Every person who is responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" shall deduct income-tax on the estimated income of the assessee under the head "Salaries" for the financial year 2016-17. The income-tax is required to be calculated on the basis of the prescribed rates, subject to the provisions related to requirement to furnish PAN as per sec 206AA of the Act, and shall be deducted at the time of each payment. No tax, however, will be required to be deducted at source in any case unless the estimated salary income including the value of perquisites, for the financial year exceeds Rs. 2,50,000/- or Rs.3,00,000/- as the case may be, depending upon the age of the employee.

Permanent Account Number (PAN) and address of the assessee are mandatory. If not furnished, tax at source is to be deducted at the prescribed rates or 20% whichever is higher without giving any rebate/deduction.

We are quoting the PAN numbers in Income tax returns as provided by the individual concerned in the past and mentioned on the salary slip also. Some time, we are in receipt of notices of Income Tax Department relating to quoting of wrong PAN Numbers. Now it has been decided to check all the details of the every employee of CPCB so as to avoid any discrepancies in future. Hence, it is requested to all to provide the copy of your valid PAN card and fill the attached format so that your data can be checked and uploaded in Income Tax Return and their notices can be replied accordingly.

(Mohan Kumar Kapur)
Accounts Officer

Copy to:

1. PS to CCB: - For kind information of CCB
2. PS to MS: - For kind information of MS
3. Hindi Officer: - For putting Hindi version of this circular on the CPCB web-site.
4. Incharge-I.T. Division- for publishing this circular on CPCB web-site & Intranet portal.
5. Divisional Incharge: – For information and circulation in their division please.
6. Incharge, Zonal Offices: – for information and circulation in Zonal Office please.
7. Notice Board
8. Master file

(Mohan Kumar Kapur)
Accounts Officer

Details to be provided by Employee

Sl. No.	Particulars	
01.	Employee Code (CP No.)	
02.	Name as per PAN Card	
	Last Name/Surname	
	Middle Name	
	First Name	
03.	Father's Name	
04.	Date of Birth	
05.	Residential Address	
	City	
	Pin Code	
	State	
06.	Specified/Non-Specified Employee	
07.	Physically handicapped Employee (<80%)	Yes / No
08.	Severe disability Employee (>80%)	Yes / No
09.	Orthopedically handicapped or blind for the purpose of double Transport Allowance deduction	
10.	Indian Citizen	Yes / No
11.	Date of Joining in CPCB	
12.	Retirement Date	
13.	Designation	
14.	Status	Resident / Non-Resident / Not Ordinary Resident
15.	Sex	Male / Female
16.	Email Id	
17.	Mobile Number(s)	
18.	CPCB Intercom number	
19.	Other Income, if any	
20.	Source of other Income	

Signature _____

Name _____



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली-110032

सं.सी-एसी.101/05/वी.जी./2016-17

दिनांक 23.06.2016

परिपत्र

विषय: संलग्न प्रपत्र के अनुसार पैन कार्ड की प्रति और अन्य ब्यौरा उपलब्ध कराने के संबंध में।

वित्त अधिनियम, 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात (आंकलन वर्ष 2017-18) के लिए 'वेतन' शीर्ष के अन्तर्गत देय आय में से इस अधिनियम की धारा 192 के तहत आय-कर की कटौती की जानी अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आय कर की दरों को 'वेतन' शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान की देय आय में से काटा जाता है। आय-कर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर प्रपत्र और अधिसूचनाएँ, आय-कर नियम, 1962 और संबंधित नियम एवं अधिनियमों संबंधित प्रावधानों और उनके अर्थ उपलब्ध हैं।

प्रत्येक व्यक्ति जो 'वेतन शीर्ष' के अन्तर्गत देय आय की अदायगी के लिए जिम्मेदार है, को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर की कटौती की जाएगी। आयकर की गणना निर्धारित दरों के आधार पर की जानी आवश्यक है। अधिनियम की धारा 206 ए के अनुसार पैन प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधानों के अधीन आय-कर की गणना निर्धारित दरों के आधार पर की जानी आवश्यक है। और प्रत्येक भुगतान के समय पर कटौती की जाएगी। हालांकि अनुलब्धियों के मूल्य सहित अनुमानित वेतन आय तब तक किसी भी मामले में, किसी भी आय स्रोत से कर की कटौती नहीं की जाएगी। वित्तीय वर्ष के लिए 250000/-रुपये या 300000/-रुपये जैसा भी मामला हो, में कर्मचारी की आयु के आधार पर आय-कर कटौती की जाएगी।

निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्या (पैन) और आवासीय पता अनिवार्य है। उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर, बिना कोई छूट/कटौती दिए हुए निर्धारित दरों या 20% जो भी अधिक हो, के अनुसार देय आय में से आय-कर की कटौती की जाएगी।

पहले से ही उपलब्ध कराए गए पैन के अनुसार, हम पैन संख्या को आयकर भरने के लिए उद्धृत करते हैं और वेतन पर्ची पर भी दर्शाते हैं। कुछ समय से, हमें आय कर विभाग से गलत पैन संख्या उद्धृत करने का नोटिस प्राप्त हो रहा है। तथापि अब यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी की उपलब्ध सभी जानकारियों की जांच जाए ताकि भविष्य में, किसी भी प्रकार दुविधा से बचा जा सके। अंततः सभी से यह अनुरोध है कि अपने वैध पैन कार्ड की कॉपी उपलब्ध कराए और संलग्न प्रपत्र में भरें ताकि आपके डाटा को जांचा जा सके और आय-कर रिटर्न में अपलोड किया जा सके और तदनुसार उनके नोटिसों के उत्तर दिया जा सके।

(मोहन कपूर)

लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. अधक्षय के निजी सचिव :- अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव की सूचना हेतु
2. सदस्य सचिव के निजी सचिव :- सदस्य सचिव महोदय की सूचना हेतु
3. सहायक निदेशक रा.भा. :- कृपया इसकी हिन्दी अनुवाद कर इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. आई.टी प्रभाग :- कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
5. प्रभाग प्रभारी :- कृपया इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों में परिचालित करें।
6. आंचलिक कार्यालय प्रभारी :- कृपया इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों में परिचालित करें। प्रभारी
7. सूचना पट्ट
8. मास्टर फाइल

(मोहन कपूर)

लेखा अधिकारी

कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी

क्र.सं.	विवरण	
01.	कर्मचारी कोड (सी.पी.सं.)	
02.	पैन कार्ड के अनुसार नाम	
	अंतिम नाम/उपनाम	
	मध्य नाम	
	प्रथम नाम	
03.	पिता का नाम	
04.	जन्म तिथि	
05.	आवासीय पता	
	शहर	
	पिन कोड	
	राज्य	
06.	विनिर्दिष्ट/गैर-विनिर्दिष्ट कर्मचारी	
07.	दिव्यांग कर्मचारी (<80%)	हाँ / नहीं
08.	गंभीर रूप से विकलांग कर्मचारी (>80%)	हाँ / नहीं
09.	दुगना परिवहन भत्ता कटौती के प्रयोजन हेतु नेत्रहीन या ऑर्थोपेडिक विकलांग	
10.	भारतीय नागरिक	हाँ / नहीं
11.	केन्द्रीय बोर्ड में कार्यभार ग्रहण की तिथि	
12.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
13.	पदनाम	
14.	स्थिति	आवसीय / गैर-आवसीय / गैर सामान्य निवासी
15.	लिंग	पुरुष / स्त्री
16.	ई-मेल आई.डी.	
17.	मोबाइल नम्बर	
18.	के.प्र.नि.बो. इंटरकॉम संख्या	
19.	अन्य आय, यदि कोई हो	
20.	अन्य आय का स्रोत	

हस्ताक्षर :

नाम :